

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(बी-476) अलेसे-I/ 629-40

दिनांक:- 27.07.2021

आदेश

श्री बसन्त कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलम्बित), मुख्यालय-कोषालय, पाली के विरुद्ध कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/21/1562-67 दिनांक 19.06.2021 संलग्न करते हुये श्री शाहजी को कार्यालय उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर द्वारा दिनांक 18.06.2021 को कार्यवाही कर गिस्तार करने के सम्बन्ध में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 202/2021 दिनांक 19.06.2021 प्रस्तुत की गई थी फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री बसन्त कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को गिस्तारी दिनांक 18.06.2021 से निलम्बित किया गया था।

श्री शाहजी को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री शाहजी द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री बसन्त कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति रतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(बी-476) अलेसे-I/ 629-40

दिनांक:- 27.07.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, कि (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
- 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर।
- 4 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 5 कोषाधिकारी, पाली।
- 6 उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर।
- 7 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8 श्री बसन्त कुमार शाहजी, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, मुख्यालय-कोषालय, पाली।
- 9 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 10 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)